**आदेश 34, नियम 8 (1) सि. प्र. सं. के अधीन आवेदन पत्र**

............... न्यायालय

वाद सं..................... सन् २०२१

के मामले में.............

**अबक**  ........ वादी

बनाम

**कखग**  ......... प्रतिवादी

आवेदक निम्नलिखित रूप में अतिसादर पूर्वक निवेदन करता है-

1. यह कि बन्धक रखी गयी सम्पत्ति के मोचन हेतु एक प्रारम्भिक डिक्री वादी के पक्ष में तारीख...................को न्यायालय द्वारा पारित कर दी गयी।
2. यह कि कथित डिक्री के अधीन वादी तारीख ................ से प्रतिवादी को...................रुपये का संदाय करने के लिए उत्तरदायी था।
3. यह कि वादी (प्रतिवादी) न्यायालय में उपर्युक्त डिक्री के अधीन उससे देय संपूर्ण रकम का संदाय करता है। देखें : आवेदन के साथ-संलग्न की गयी रसीद।

**प्रार्थना**

यह अति सादर पूर्वक प्रार्थना की जाती है कि प्रतिवादी को कथित प्रारम्भिक डिक्री में यथाबन्धक रखी गयी सम्पत्ति, आवेदक के खर्च पर प्रारम्भिक डिक्री तथा पुनः अंतरण के निर्देशित किये गये दस्तावेजों को आवेदक को परिदान करने तथा सम्पत्ति पर आवेदक को कब्जा प्रदान करने का आदेश किया जाय। यह तद्नुसार प्रार्थना की जाती है।

**वादी**

**जरिये**

**अधिवक्ता**

**स्थान ...................**

**तारीख..................**